न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर,
अपील संख्या 230/2014 एलआर एक्ट अनुवानी जगदीश बनाम ओम प्रकाश वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज	हुक्म की तामील
13.11.2019	पत्रावली पेश हुई। रेस्पोडेंट्स नं. 8 के अभिभाषक श्री सत्यनारायण तिवाड़ी एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। वकील अपीलांट श्री नन्द किशोर गांधी अनुपस्थित। यह प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा निर्णित अपील संख्या 3/97 अनुवानी सावित्री बनाम ओम प्रकाश वगैरह निर्णय दिनांक 22–9–1997 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 23–03–1998 को पेश हुई है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 22–9–1997 द्वारा चक 12 एलएलजी की 53 बीघा भूमि के इन्तकाल विरास्तन दिनांक 18–11–78 प्रार्थीयॉ को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किये जाने के कारण उक्त इन्तकाल दिनांक 18–11–78 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार सादुलशहर को मौके पर जांच करके एवं सभी सम्बन्धित पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था, जिसमें आगे कार्यवाही सम्पन्न होकर आगामी इन्तकाल दर्ज हो चुके है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27–6–18 को वकील अपीलांट को रेस्पोडेंट संख्या 2, 5, 6 के निमित दैनिक समाचार पत्र मे सम्मन प्रकाशनार्थ प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया तत्पश्चात् दिनांक 4–9–18 से लगातार दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित सम्मन की प्रति पेश करने हेतु पाबन्द किया जा रहा है, जो आदिनांक पेश नहीं की गई। प्रश्नगत भूमि के संबंध में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर की अपील संख्या 134/2013 अनुवानी सावित्री बनाम ओमप्रकाश(मृतक) शांतिदेवी वगैरह निर्णय दिनांक 14–7–17 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दावें में किये गये निर्णय दिनांक 3–12–2013 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। प्रकरण में आगामी कार्यवाही दावे के रिमाण्ड प्रकरण के निर्णय अनुसार ही सम्पन्न होनी है। इसलिए यह अपील गुणावगुण के आधार पर भी चलने योग्य नहीं है। वकील अपीलांट को आवाज लगवाई गई। बावजूद आवाज के न तो वकील अपीलांट उपस्थित आये और ना ही उनकी ओर से कोई वैधानिक प्रतिनिधि उपस्थित आये। अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील के साथ साथ गुणावगुण के आधार पर चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। संभागीय आयुक्त बीकानेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.11.14 17:29:52 IST
Reason: SelfAttested